के वि वि आयोग
CERC

सौदामिनी

अक्टूबर – दिसम्बर, 2016 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग खण्ड–I अंक–II

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (31 अक्टूबर, 2016 से 05 नवम्बर, 2016 तक)
केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

कार्यालय परिसर में **31 अक्टूबर, 2016 से 05 नवम्बर, 2016 तक** सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यालय परिसर के प्रमुख स्थलों पर बैनर प्रदर्शित किए गए। इसके अलावा दिनांक 31.10.2016 को सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा ली गई। इस अवसर पर आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्यगण एवं समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे एवं प्रतिज्ञा का सामूहिक वाचन किया गया। सप्ताह के दौरान सभी स्टाफ सदस्यों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सजगता उत्पन्न करने एवं सामूहिक प्रयासों को मान्यता देने के फलस्वरूप **'निष्ठा के उन्नयन एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन में लोगों की सहभागिता'** विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित गई एवं प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। निर्धारित विषय पर प्राप्त निबंधों में सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में उत्तरदायित्व की भावना के साथ–साथ सामान्य प्रक्रिया में पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित किया गया ताकि भ्रष्टाचार के उन्मूलन से संतुलित विकास का स्वप्न साकार किया जा सके।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रतिज्ञा का वाचन करते हुए वरिष्ठ अधिकारीगण एवं स्टाफ सदस्य

राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह – 06 अक्टूबर, 2016

दिनांक 06.10.2016 को आगरा में आयोजित राजभाषा सम्मेलन गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के सचिव, राजभाषा विभाग, (श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव) की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय गृह राज्यमंत्री श्री किरेन रीजीजू ने सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए समस्त प्रतिनिधियों के कार्य की सराहना करते हुए आहवान किया कि राजभाषा कार्य से जुड़े सभी स्तर के कर्मी अपने अथक परिश्रम से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाए। माननीय मंत्री महोदय ने राजभाषा के कार्यों में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए उपस्थित समुदाय के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हुए दिशानिर्देश दिए। इसके साथ ही उत्तर–1 व उत्तर–2 क्षेत्र के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इस सम्मेलन में निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी तकनीकी निदेशक, नराकास के अध्यक्ष व सदस्य सचिव, निदेशक, राजभाषा प्रशिक्षण, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, मुख्य आयकर आयुक्त, आगरा, अध्यक्ष के अलावा समस्त राजभाषा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस राजभाषा सम्मेलन में हमारे आयोग के राजभाषा अधिकारी द्वारा भाग लिया गया।

के वि वि आयोग
CERC

सौदामिनी

अक्टूबर – दिसम्बर, 2016 | केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग | खण्ड–I अंक–II

''हास्य कवि सम्मेलन'' (23.11.2016) का आयोजन

नवोन्मेषी योजनाओं के माध्यम से स्टाफ सदस्यों में राजभाषा के प्रचार प्रसार एवं कार्यक्रमों में विविधता तथा हिन्दी के प्रति अभिरूचि जागृत करने के उद्देश्य से कार्यालय परिसर में दिनांक 23.11.2016 को हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।

इस कवि सम्मेलन में प्रख्यात हास्य कवि श्री प्रवीण शुक्ला व श्री चिराग जैन ने अपनी सहज सरल हास्य कविताओं से समस्त स्टाफ को आनंदित एवं आहलादित किया। इसके अलावा कार्यालय में कार्यरत कवि श्री अमित श्रीवास्तव ने भी अपनी हास्य कविताओं से समस्त स्टाफ को मंत्रमुग्ध किया। जीवन में हास्य की महत्ता को रेखांकित करता यह हास्य कवि सम्मेलन अत्यंत रूचिकर एवं सार्थक रहा। कर्मियों को एकरसता से उबारने एवं उनमें नवीन ऊर्जा का संचार करते हुए यह हास्य कवि सम्मेलन अत्यंत मनोरंजक एवं सफल सिद्ध हुआ। इस हास्य कवि सम्मेलन में सभी स्तर के स्टाफ की सक्रिय सहभागिता के साथ–साथ आयोग के सदस्य श्री एम. के अय्यर एवं सुश्री शुभा शर्मा, सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। इस हास्य कवि सम्मेलन का संचालन आयोग के राजभाषा अधिकारी डॉ. राजेन्द्र सहगल द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

हास्य कवि सम्मेलनः कुछ झलकियां

के वि वि आयोग
CERC

सौदामिनी

अक्टूबर – दिसम्बर, 2016 | केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग | खण्ड–I अंक–II

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक

दिसंबर, 2016 को समाप्त राजभाषा कार्यान्वयन की समिति की तिमाही बैठक दिनांक 20.11.2016 को आयोग की सचिव एवं अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति सुश्री शुभा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदया ने अलग–अगल प्रभागों के प्रभारी से हिन्दी प्रगति की जानकारी प्राप्त की। बैठक में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए सराहना करते हुए इस बात पर बल दिया गया कि समस्त कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हुए हिन्दी की सरलता, लोकप्रियता व व्यवहारिकता को केन्द्र में रखा जाए। इसके साथ ही विभागीय प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्रेष्ठ कार्य नि पादन के लिए सभी स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर भी विस्तार से विचार–विमर्श किया गया। इस बैठक में समिति के समस्त सदस्यों ने सहभागिता की।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक के दौरान विचार विमर्श

संविधान दिवस – 26 नवम्बर, 2016 के उपलक्ष्य में प्रतिज्ञा का आयोजन

संविधान के जनक डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 126वीं जयन्ती के अवसर पर **संविधान दिवस – 26 नवम्बर** के उपलक्ष्य में केविविआ, कार्यालय में 25 नवम्बर, 2016 को सामूहिक प्रतिज्ञा ली गई। 'संविधान दिवस' के इस महत्वपूर्ण आयोजन पर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की दूरदृष्टि, समानता एवं विश्वबंधुत्व की महान परिकल्पनाओं का स्मरण किया गया। भारत के संविधान के प्रति अगाध निष्ठा एवं इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग की माननीय सचिव महोदया तथा वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी स्तर के स्टाफ सदस्यों ने प्रतिज्ञा का वाचन किया।

प्रतिज्ञा वाचन करते हुए वरिष्ठ अधिकारीगण एवं समस्त स्टाफ

चिन्तनपरक लेख

सांस लेना जीना नहीं होता

सांस हम सभी लेते है। यह एक सामान्य भौतिक अभौतिक प्रक्रिया है। लेकिन क्या सांस लेने भर को हम जीवन जीने का नाम दे सकते हैं? सतही तौर पर सोचने से लग सकता है कि सांस लेना जीने की पहली और अनिवार्य शर्त है लेकिन जरा गहराई में उतरे तो यह साफ होने लगता है कि सांस का आना–जाना हमारे शारीरिक स्तर पर जीवित होने का प्रमाण अवश्य माना जा सकता है पर 'जीना' जीवन को कोई ठोस दिशा देते हुए मानसिक–आत्मिक–आध्यात्मिक उन्नयन को ही कहा जा सकता है। महज सांस लेने और जीने के असली अर्थ के फर्क को समझ लेना इसलिए भी निहायत जरूरी है कि इससे अपने उत्साह, परिश्रम, ऊर्जा और सोच को एक निश्चित व स्पष्ट दिशा दी जा सकती है।

व्यक्ति का सांस लेना एक स्वाभाविक–नैसर्गिक प्रक्रिया है। सांस लेने के लिए हमें किसी प्रकार का अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता अर्थात् इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। जबकि जीना हमारे उन मूल्यों, विश्वासों, आस्थाओं–विचारणाओं को प्रतिबिंबित करता है जिन्हें पाने व बचाए रखने के लिए हम निरंतर संघर्ष करते हैं और नित–प्रतिदिन के घात–प्रतिघातों के

के वि वि आयोग
CERC

सौदामिनी

अक्टूबर – दिसम्बर, 2016 | केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग | खण्ड–I अंक–II

बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव बनाए रखते हे। हमें जीवन में जहां एक तरफ अपने भविष्य व कैरियर के प्रति सजगता बनाएं रखनी पड़ती है तो दूसरी तरफ जीवन संबंधी मूल्य व दृष्टिकोण भी विकसित करना पड़ता है। इस दोहरे दायित्व के कारण हम कभी आशंकित तो कभी विचलित हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति को जिन्दगी में जो भी बनना होता है वह उसके बचपन में ही तय हो जाता है। इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को स्वीकार करने के बावजूद इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जीवन में व्यक्ति अपनी क्षमताओं–अभिरूचियों को महज जीविकोपार्जन की दृष्टि से न देखते हुए उसे समूचे जीवन के मूल्य बोध से जोड़ने की आकांक्षा रखता है।

जीने का दूसरा नाम ही संघर्ष है। अनुकूल परिस्थितियां व तमाम सुविधाएं व्यक्ति का जीवन आसान तो बना देती है पर परिस्थितियों की प्रतिकूलता, कर्त्तव्यदायित्व की टकराहट व कर्मवाद–नियति का सत्य उसे कहीं आहत करता है तो कहीं परास्त। यहीं आकर सतत् संघर्ष, निरन्तर प्रयास, अदम्य आकांक्षा, लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण, धैर्यशीलता आदि मूल्यों की अर्थवत्ता की समझ खुलने लगती है। हममें से कौन इस बात से इंकार कर सकता है कि हमें जो चीज आसानी से मिल जाती है हम उसका सम्मान नहीं कर पाते। इस बात को यूं भी समझा जा सकता है कि किसी भी मूल्यवान वस्तु को सस्ते में नहीं पाया जा सकता। इसलिए उसकी पूरी कीमत चुकाने के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। फिर जीना तो हमारा सर्वोपरि धर्म है। जीने के अमूल्य भाव–बोध को समझने के लिए अथक परिश्रम व लगन से कैसे भागा जा सकता है।

व्यक्ति की सहजवृत्ति है कि वह आसानी की तरफ भागता है जबकि बड़ा काम हमेशा मुश्किल होता हे। आसान काम हमें मुश्किलों से भले बचा लें पर वे हमें बौद्धिक प्रखरता व सर्वांगीण दृष्टिकोण प्रदान नहीं करते। जबकि अपने भविष्य में किसी बड़े लक्ष्य निर्धारण से राह में आने वाली कठिनाइयां, बाधाएं, जटिलताएं हमारी आंतरिक क्षमताओं को विकसित करते हुए नए भाव बोध से जोड़ती हैं। हमारी प्रतिभा व क्षमताओं का कोई अन्त नहीं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि अपने सीमित नजरिए को विस्तार प्रदान करें और मुश्किलों के भय से अपने बड़े लक्ष्य निर्धारण से बचने के लिए कुतर्क न करें। इस तथ्य से कौन इंकार कर सकता है कि 'सांस' स्वाभाविक है और 'जीना' अर्जित उपलब्धि है। जीवन आसानी में नहीं बल्कि कठिनाइयों में धड़कता है। शायद इसलिए संघर्ष की उपस्थिति ही जीवन है। जीवन मूल्यों को आत्मसात करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है।

(राजेन्द्र प्रताप सहगल)
राजभाषा अधिकारी

सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2016

पुरस्कृत निबंध

''निष्ठा के उन्नयन एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन में लोगों की सहभागिता''

भ्रष्टाचार – 'बिगड़ा हुआ आचरण' अर्थात् वह आचरण या कृत्य जो अनैतिक तथा अनुचित रूप से किया जाए। भ्रष्टाचार हमारी राष्ट्रीय समस्या है। भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है समाज में असंतोष की प्रवृत्ति एवं सदैव अधिक पाने की लालसा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छाओं और क्षमताओं में संतुलन रख पाते हैं। आज मुनष्य कितना भी कुछ हासिल कर ले परंतु उसकी और अधिक प्राप्त कर लेने की लालसा कभी समाप्त नहीं होती है। किसी वस्तु की आकांक्षा रखने पर यदि उसे वह वस्तु सहज रूप से प्राप्त नहीं होती है तो वह उसे हासिल करने के लिए गलत तरीकों को अपनाने की ओर अग्रसर होता है तथा यहीं से भ्रष्टाचार की शुरूआत होती है।

भ्रष्टाचार का दूसरा प्रमुख कारण है – स्वार्थ की प्रवृत्ति। लोगों में निजी स्वार्थ की भावना परस्पर असमानता को जन्म देती है। यह असमानता आर्थिक, सामाजिक व प्रतिष्ठा के मतभेद को भी बढ़ावा देती है। यही कारण है कि व्यक्ति किसी उच्च पद पर आसीन होकर भी गुणवत्ता की अनदेखी कर, अपने समाज, परिवार अथवा संप्रदाय या किसी व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता देने लगता हे। उसका यह कृत्य भ्रष्टाचार का रूप बन जाता है। भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर वह व्यक्ति सदैव न्याय की अनदेखी करता है। इसी कारण राजनैतिक, धार्मिक व प्रशासनिक आदि सभी क्षेत्र भ्रष्टाचार के दु प्रभाव से ग्रसित होते जा रहे हैं।

प्रशासनिक स्तर पर यह आवश्यक है कि लोगों में कार्य के प्रति निष्ठावान बनाने के कार्यक्रम बनाए जाएं। उनके अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित किया जाए। व्यक्तिगत स्तर पर जब हम यह समझेंगे कि समाज से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का उत्तरदायित्व हम पर ही है, तभी भविष्य में हम भ्रष्टाचार रहित समाज की कल्पना कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि लोगों को उनके कर्त्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से देश हित तथा जन कल्याण हेतु समर्पित भाव से करना होगा। सरकारी स्तर पर मात्र कानून बनाकर या भ्रष्टाचार विरोधी अन्य कार्यक्रम बनाकर ही भ्रष्टाचार को रोकना असंभव है। इसके उन्मूलन के लिए समाज को अग्रसर होना होगा तथा भ्रष्टचार में डूबे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा ताकि ऐसे लोगों के मनोबल को खंडित किया जा सके। भ्रष्टाचार के विरोध में राष्ट्रीय जन–जागृति ही राष्ट्र को भ्रष्टाचार जैसी कुरीतियों से मुक्त करा सकती है।

(जसवंत सिंह)
वेतन एवं लेखाधिकारी

संरक्षक
ए.के.सिंघल
सदस्य

www.cercind.gov.in

संपादक मंडल
शुभा शर्मा, सचिव
पी. राममूर्ति, सहायक सचिव
कमल किशोर, सहायक प्रमुख
आर.पी. सहगल, राजभाषा अधिकारी

कृपया इस पते पर अपनी प्रतिक्रिया भेजें :
केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
भूतल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली–110001
Email : info@cercind.gov.in